न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–324 सन् 2015

माधव गोस्वामी................................वादी।

बनाम

प्रवेश हजरा वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 11.07.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 09.05.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 05 मेही हजरा थे जिनकी मृत्यु दिनांक 21.02.2023 को अपने कानूनी वारिसान अपनी पत्नी मु0 सीता देवी वो पेसर सतेन्द्र पासवान, विजय मांझी वो दोख्तर सुमन देवी को छोड़कर फौत कर गए हैं। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 05 मेही हजरा का नाम अर्जीदावी से कलमजद करके उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित होना जरूरी है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर विचार कर अर्जीदावी से प्रतिवादी सं0 05 मेही हजरा का नाम कलमजद करके उनके स्थान पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 05 मेही हजरा थे जिनकी मृत्यु दिनांक 21.02.2023 को अपने कानूनी वारिसान विधवा पत्नी वो पेसर सतेन्द्र पासवान वो विजय मांझी वो दोख्तर सुमन देवी को छोड़कर हो गई है। वादी प्रतिवादी सं0 05 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी की ओर से उक्त आवेदन समय सीमा के अंतर्गत तथा शपथ पत्र के साथ समर्थित है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 09.05.2023 को न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।